

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/62/2024-2025

10 फरवरी, 2025

सेवा में,

श्री एस.एल. व्यास

आई माँ भवन, माधोराय की ढाल,

पो. बॉक्स न. 11, फलोदी

जिला-जोधपुर-342301

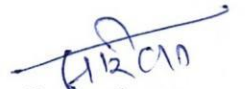
विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में आपका दिनांक 15.01.2025 का पत्र जो इस सचिवालय में 23.01.2025 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10 रुपये का पो.आ.सं. 63एफ 776887 संलग्न कर आपके उक्त आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका दिनांक 15.01.2025 का आवेदन इस सचिवालय से संबंधित नहीं था। जिसे फाइल कर दिया गया है तथा जिसकी कोई पावती नहीं दी जाती।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।


(सरिता चौहान)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

No 210-21
15 JAN 2025



विदेशी सूचना हेतु आवेदन पत्र
धारा 6(1)

Regd
अतिरिक्तिक

63F 776887

76 श्रीमान उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनरुड

उपराष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली-11

आवेदन संख्या एसएलएस/राष्ट्रीय मंदिराचार्य अस्त इंडिया वोटिंग सर्विस
डाटा वेलफेयर एसोसिएशन आईमौ भवन 10 BOX No 11 फलों की
मिर्जापुर 2342301 (M) 8239067024 PMAL 001

② याही गई सूचना: तत्काल अतिशीघ्र (✓)

③ सूचना का विवरण: पत्र No-AIVRWA/RMS/RJ-UK/All/India/
विदेशी सूचना/उपराष्ट्रपति भारत/विशेषज्ञापन आवेदन हेतु/100100-100150
Date 15 JAN 2025 रीमाण्ड 3 रव रजिप्रा अति आवश्यक

विषय-महामोहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी आवेदन नं० पी-1/8/
1704230049 Date 17/4/2023 में न्याय विभाग भारत सरकार
को हिंदू निर्वंश की पालना को सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि वोटर्स
एसोसिएशन की मांग के अनुसार आम मतदाताओं को मासिक -
वोटर्स पेंशन 3000/तीन हजार रुपये मिल सके। [15 वीं अन्तरा-
ष्ट्रीय मतदाता दिवस] 25 जनवरी 2025 में सम्मिलित कर विधिक न्याय
की बात। उक्त पत्र के पत्रा 1 व 2 में राष्ट्रीय जनता मतदाताओं के पक्ष में
क्या आवेदन उपराष्ट्रपति जी ने किया उसकी प्रमाणित प्रतिया हमें RTI
आवेदन के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करावे आप शीघ्र ही।

② संलग्न पत्र No-100100-100150 Date 15 JAN 2025 प्रेषित।

③ मन्त्रि के संचालकों को दिल्ली-पंजाब की तरह राजस्थान
व आपकी सरकारें हैं वहाँ सभी को मासिक सौलाह हजार रुपये
कब से देने शुरू करेंगे। जिस संचालकों प्रणाली में हालत
कमजोर है उनमें आम नहीं उन सभी को मासिक राशि
ही जाये जो गत 10 वर्षों से आपकी हुई है उसे इसी माह से
लागू कर सनातन धर्म की रक्षा करावे। इस विषय में
उपराष्ट्रपति जी बिना 1 व 2 में क्या आवेदन किया अथवा
अवेगले विधि न्याय हेतु प्रेषित RTI आवेदन किया सूचना
शीघ्र ही उपलब्ध कराने की अनुकम्पा प्रदान करें।

④ RTI No 63F 776887 RS 101- Date 15 JAN 2025

शेष भाग 2 पर

5) वॉरंट चोरी गई सम्पूर्ण सूचना हमारे जीवन से संबंधित है एवं धारा 5 में नहीं आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत सविस्तर टिप्पणी सहित चाही गई बिजुवर सूचना का खुलासा सहित हिरावे हमें

सात दिनों भीतर ही सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करावे।

कृपा: इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने अनुकम्पा करावे।

स्थान - फलोंही, समय 11:45 AM, समय अवधि - सात दिनों भीतर
(ONLY Seven days Under)

भवदीय

(210-211)

BPRD

21 JAN 2025

(SLVVAS) M8239067034

संलग्नक पत्र 4 @ IR सहित RTI

आवेदन पत्र 15 JAN 2025

ऑल इण्डिया वोटर्स राइट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन

कार्यालय : एस.एल. व्यास, राष्ट्रीय महासचिव, आई माँ भवन, माधोराय की ढाल, पो. बॉक्स नं. 11, फलोदी जिला
जोधपुर (भारत) 342301 मो. 8239067024 Email: slvyas2013@gmail.com

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य व अधिकार है तो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है।

इन्फॉर्म : AIVRWA/RMS/RJ-UK / AllIndia/Legalad/राष्ट्रपति भारत/विशेष जापन आदेश हेतु/100100-100150 दिनांक : 5-1-2025
अति आवश्यक रजिस्टर्ड पत्र

To,

श्रीमति महानहिन द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति, भारत सरकार

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004

श्रीमान CJI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया

सर्वोच्च न्यायालय भारत, नई दिल्ली-110004

श्रीमान ओम विरला

लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार, संसद भवन

नई दिल्ली-110001

श्री नरेन्द्र भाई मोदी

प्रधानमंत्री, भारत

प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली-110011

मार्फत :- एस.डी.एम. फलोदी-122 (जोधपुर) 342301

विषय :- महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी आदेश नं. पी-1/8/1704230049 दिनांक 17-4-2023 में न्याय विभाग भारत सरकार को दिये निर्देश की पालना को सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि वोटर्स एसोसिएशन की मांग के अनुसार आम मतदाताओं को मासिक वोटर्स पेंशन 3000/- (तीनहजार रुपये) शुलभ हो सके। (15 वें अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस) 25 जनवरी 2025 में सम्मिलित कर विधिक न्याय बाबत।

मान्यवरजी,

ऑल इण्डिया वोटर्स राइट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एस.एल. व्यास ने गत 15 जनवरी 2025 को आगामी आने वाली 25 जनवरी 2025 मतदाता दिवस को मध्य नजर रखते हुए 15वाँ अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारत सरकार, राज्य सरकारें भी देश के करोड़ों मतदाताओं के पक्ष में निर्णय लेने, इनकी मांग एक युग से लगातार चल रही है। इस विषय में महानुभाव आपका मार्गदर्शन व सहयोग दें। इस संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी आदेश नं. पी-1/8/1704230049 दिनांक 17-4-2023 में न्याय विभाग भारत सरकार को दिये निर्देश की पालना को सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

देश आजाद के 77 वर्ष बाद अब "वोटर्स पेंशन" मासिक 3000/- देना न्यायोचित होगा देश के करोड़ों मतदाताओं को आर्थिक परिलाभ मिलेगा। इसमें (सरकारी अर्द्धसरकारी कर्मचारी बड़े उद्योगपति व आयकर दाता) शामिल नहीं है शेष सभी वोटर्स पेंशन पाने के हकदार है। माननीय सांसदों के द्वारा भारत देश भर में आज ही देने का प्रावधान करें। वोटर्स पेंशन लागू होने से राम राज्य का सपना साकार होगा। सरकार बनाने में हमारे सभी मतदाताओं की पंचायत से लेकर लोकसभा तक इनकी भूमि का रही है इन्हें वोटर्स पेंशन से वंचित क्यों रखा गया। सभी को मिलती है। सभी सरकारें व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतदाताओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है मतदान करना अनिवार्य है तो भारत सरकार का भी कर्तव्य है उनकी मूलभूत सुविधा प्रदान करने का। एस.एल. व्यास राष्ट्रीय महासचिव व चिमनसिंह रावत, मो. शफी, पन्नेसिंह, सवाईसिंह राजपुरोहित, पुरुषोत्तम चन्दनानी, भगवानदास, ओम सुरती, पवन व्यास सी.ए. तरुण पुरोहित, ललित अग्रवाल, संजय पंवार, इन्द्राराम राव, मोती, चेतन सिंदल, कमल रामावत, वकील लक्ष्मण वैष्णव, CA विशाल बोहरा, गणेश भंवरसिंह, किशनसिंह, नन्दकिशोर व्यास, बाबू व्यास, बाबूलाल सियाग, नकूल प्रिंस पुरोहित, ब्राउन जंशी,

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन

कार्यालय : एस.एल. व्यास, राष्ट्रीय महासचिव, आई माँ भवन, माधोराय की ढाल, पो. बॉक्स नं. 11, फलोदी जिला जोधपुर (भारत) 342301 मो. 8239067024 Email: slvyas2013@gmail.com

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य व अधिकार है तो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है।

क्रमांक : AIVRWA/RMS/RJ-UK / AllIndia/Legalad/राष्ट्रपति भारत/विशेष ज्ञापन आदेश हेतु/100100-100150 दिनांक : 15-1-2025

(2)

नरेन्द्रगिरी, टिकूराम, रघुनाथ मेघवाल, जुगल शर्मा, हरिश व्यास, जितेन्द्र पंवार, जयप्रकाश पुरोहित, देवीचन्द पंवार, सुनिल व्यास, कृष्णादेवी माली, मधुबाला अरोड़ा, अनिता, शान्ति, भगवती, स्नेहा व्यास, पूजा सहित पदाधिकारी व अन्य सभी मतदाताओं के बिन्दु सभी राजनैतिक दलों ने अपनी सहमति जताई ये मांग भी जापज मानी। शत प्रतिशत निष्पक्ष निडर निर्भय होकर मतदान करेंगे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहिब ने संविधान निष्ठ 193 में भी दर्शाया (लिखा) जन हित में न्याय कर आप सभी उक्त वोटर्स पेशन मांग पत्र हमारी एसोसिएशन के माध्यम से भिजवाये जायेंगे। 25 जनवरी 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लागू करें। कानून संशोधित कर मतदाताओं को लाभान्वित करें। ये कार्य मात्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा, विधि एवं न्याय मंत्रालय व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधीनस्थ है। अतः एसडीएम फलोदी अविलम्बता करते हुए केन्द्रिय स्तर पर कार्यवाही हेतु अग्रेषित करवायें जन हित में विधिक न्याय दिलाते हुए। वांछित अनुतोष मय वस्तुस्थिति से सात दिनों के भीतर आपके आदेश की प्रति उपलब्ध करावें हमें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

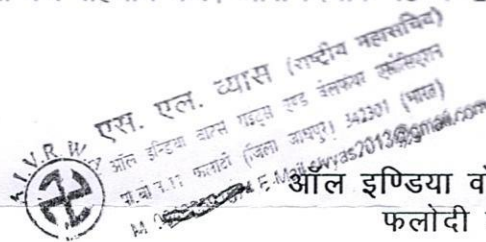
आवश्यक अग्रेषित कार्यवाही मय विधिक न्याय हेतु प्रेषित- पत्रांक 100100-100150 दिनांक 15-1-2025

1. राष्ट्रपति 2. उप राष्ट्रपति, 3. प्रधानमंत्री 4. लोकसभा अध्यक्ष, नई दिल्ली 5. CJI सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 6. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संसद नार्ग नई दिल्ली 7. विधि न्याय मंत्री कानून मंत्रालय भारत सरकार 8. सभी सांसद, नई दिल्ली 9. राज्यपाल सभी राज्यों के 10. मुख्यमंत्री सभी 11. निदेशक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (पिछन मंत्रालय) नई दिल्ली (डी.ए.आर.पी.जी.) 12. समस्त जिला कलेक्टर/एस.डी.एम. फलोदी, ब्यावर इत्यादि 13. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली 14. सचिव लीगल एड बोर्ड राज. RHC जयपुर 15. कानून मंत्री राजस्थान 16. सी.आई.डी. फलोदी 17. सभी समाचार पत्र, टीवी चैनल, 18.

नोट :- आज ही अपने सुझाव व हो रही कार्यवाही से अवगत करावें। 25-1-2025 अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में अग्रिम कार्यवाही कर 7 दिन के भीतर उपलब्ध करावें जन हित में। आज ही न्यूज प्रकाशित कर सहयोग करें। जारी दिनांक 15-1-2025

भवदीय

एस.एल. व्यास
राष्ट्रीय महासचिव



ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन
फलोदी पो. बॉक्स नं. 11 मो. 8239067024
Email: slvyas2013@gmail.com